प्रेस नोट थाना गोरखनाथ जनपद गोरखपुर दिनांक 04.10.2025

धोखाधड़ी का अपराध कारित करने के आरोप में 01 नफर अभियुक्त गिरफ्तार

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद गोरखपुर द्वारा धोखाधड़ी के अपराधों पर अंकुश लगाने एवं अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में, पुलिस अधीक्षक नगर के मार्गदर्शन में, क्षेत्राधिकारी गोरखनाथ के पर्यवेक्षण में व प्रभारी निरीक्षक गोरखनाथ के नेतृत्व में मय पुलिस टीम द्वारा थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0सं0 424/2025 धारा 318(4),336(3),340(2) बीएनएस से संबंधित अभियुक्त अहमद रजा उर्फ शादाब को गिरफ्तार किया गया। अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

घटना का संक्षिप्त विवरण-

अभियुक्त उपरोक्त द्वारा दिनांक 30.09.2025 को थाना स्थानीय पर प्रार्थना पर देकर दिनांक 04.10.2025 को बरावफात जुलूस निकालने हेतु अनुमति प्रदान के लिए आवेदन किया गया था। विजयदशमी त्यौहार व दुर्गा प्रतिमा विसर्जन के दृष्टिगत आवेदन की जाँच उ0नि0 अजय कुमार द्वारा किया जा रहा था तभी अभियुक्त द्वारा पूर्व में अपर नगर मजिस्ट्रेट जनपद गोरखपुर द्वारा बरावफात जुलूस हेतु दिये गये अनुमति आदेश “पत्रांक-806/ आशुलि-नगर दिनाँक 04.09.2025” में धोखाधड़ी कर कूटरचित तरीके से परिवर्तन करते हुए दिनांक 04.10.2025 को जुलूस हेतु अनुमति प्राप्त कर लिया गया था। उक्त के संबंध में स्थानीय पर मु0अ0सं0 424/2025 धारा 318(4),336(3),340(2) बीएनएस पंजीकृत किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

अभियुक्त अहमद रजा उर्फ शादाब पुत्र जमालुद्दीन निवासी अहमद नगर चक्सा हुसैन नूरी मस्जिद के पास थाना गोरखनाथ जनपद गोरखपुर।

गिरफ्तारी के अभियोग का विवरण-

मु0अ0सं0 424/2025 धारा 318(4),336(3),340(2) बीएनएस थाना गोरखनाथ जनपद गोरखपुर

गिरफ्तारी की टीम-

1. प्र0नि0 शशिभूषण राय थाना गोरखनाथ जनपद गोरखपुर
2. उ0नि0 अजय श्रीवास्तव गोरखनाथ जनपद गोरखपुर
3. हे0का0 विजय कुमार थाना गोरखनाथ गोरखपुर